न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 51/2020
प्रविष्टि दिनांक 31-8-2020

रामबिलास पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

1— नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक
2— सरपंच, ग्राम पंचायत झुण्डवा तह0 उनियारा जिला—टोंक

—रेस्पोडेण्ट्स

.अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार सोप दिनांक 3—7—2020 अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट 1956

उपस्थिति :(1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अपीलान्ट्स
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 15—12—2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने आदेश दिनांक 3—7—2020 के द्वारा एक टीम गठित कर खसरा नम्बर 99 सिवायचक भूमि पर से लोगो द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है उक्त रास्ते को चोडा किये जाने के निर्देश कमेटी को दिये गये है। जिसकी पालना में कमेटी द्वारा दिनांक 10—7—2020 को अतिक्रमण हटाकर तहसील कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करदी गई है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के दो बाड़े उक्त खसरा नम्बर 99 के पास ही खसरा नम्बर 104 रकवा 0.01 एयर व खसरा नम्बर 105 रकबा 0.3 एयर स्थित है, जो अपीलान्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी के हैं जिसका अपीलान्ट काफी वर्षों से अपने घरेलु कार्यो हेतु उपयोग, उपभोग करता आ [illegible] सोप के आदेश दिनांक 3—7—2020 की पालना में दिनांक 10—7—2020 [illegible] पर जाकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बाड़े खसरा नम्बर 104 [illegible] रास्ता निकाल दिया गया जबकि उक्त मौके की आखिरी सीमा तक ग्राम पंचायत द्वारा सी0सी0 रोड बना रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:06:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अतः जब तक अपीलान्ट द्वारा अपने बाड़े को पत्थरगढ़ी चिन्हित नहीं किया जावे तब तक उक्त आदेश की कियान्विति स्थगित की जावे तथा अपीलान्ट की उपस्थिति में अपीलान्ट के दोनो बाड़ो का सीमाज्ञान करवा कर अपीलान्ट को बाड़ो से बेदखल किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम ठीकरिया गैर मुमकिन रास्ते से अतिकमण हटाने हेतु उपखण्ड अधिकारी उनियारा के पत्र कमांक 8490 दिनांक 2–7–2020 से निर्देश प्राप्त हुए थे जिसकी पालना में तीन पटवारियों व एक भू0अ0निरीक्षक की मोजूदगी में टीम गठित कर पुलिस जाप्ते की मोजूदगी में मौके पर नापचोप कर दिनांक 10–7–2020 को खसरा नम्बर 99 रकवा 0.22 है0 वाके ग्राम ठीकरिया गैर मुमकिन रास्ते से अतिकमण हटवा दिया गया है। नायब तहसीलदार सोप का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत झुण्डवा ने ना0 तहसीलदार सोप के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि शमशान घाट पर जाने का रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्ज है उक्त भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिकमण कर रखा है। पंचायत द्वारा रास्ते पर झीकरा डालकर सी0सी0 रोड बनवाया जावेगा अतः शीघ्र अतिशीघ्र रास्ते की भूमि से अतिकमण हटवाया जावे। जिसकी पालना में पटवारियों व भू0अ0निरीक्षक की मोजूदगी में टीम गठित कर पुलिस जाप्ते को साथ लेकर दिनांक 10–7–2020 को खसरा नम्बर 99 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम ठीकरिया गैर मुमकिन रास्ते से अतिकमण हटवा दिया गया है। अपीलान्ट का यह कथन है कि अपीलान्ट की उपस्थिति में खसरा नम्बर 104 की सीमाज्ञान करके ही अतिकमण हटाया जावे व अपीलान्ट के खसरा नम्बर 104 में किसी प्रकार मजाहमत व बेदखल नहीं करें। जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 105 की भूमि भेरू पुत्र घांसी, रामसहाय पुत्र माधो, शम्भू सुन्दरा,रामकिशन पुत्र पॉचू, हरलाल,गजानन्द,मोरपाल,पुत्र गंगाराम, श्योनाराण पुत्र नेनू गुर्जर के नाम दर्ज है जिसमें अपीलान्ट रामबिलास का खसरा नम्बर 105 रकबा 0.03 है0 गैर मुमकिन बाडा में किसी प्रकार का हक/हिस्सा नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सोप को आदेशित किया जाता हें कि अपीलान्ट द्वारा सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर खसरा नम्बर 104 का सीमाज्ञान उसकी उपस्थिति में किया जावे तथा नये रास्ते के विवाद का निस्तारण नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाकर किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14–12–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:06:15 IST
Reason: SelfAttested

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner